REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 9 | JUNE - 2018

मध्यप्रांत में पुलिस तथा जेल प्रशासन : एक अध्ययन

श्रीमती ममता सूर्यवंशी
शोधार्थी

सारांश –

प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रांत में पुलिस तथा जेल प्रशासन की भूमिका का अध्ययन किया गया है। शोध पत्र में पुलिस एवं जेल प्रशासन की संरचना, उसमें तत्कालिक पद एवं कैदियों के साथ व्यवहार आदि पर प्रकाश डाला गया है। कैदियों के साथ किये जाने वाले व्यवहार में सुधार हेतु किये गये प्रयासों का भी अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना –

अपराधियों को समाज से पृथक रखकर समाज को अपराध विहीन बनाने और अपराध निवारण करने में भी कारावास व्यवस्था अत्यन्त उपयोगी है।

कारागार का प्रथम उद्देश्य राज्य की शक्ति को प्रदर्शित करता है कि वह अपराधी को जब चाहे वैधानिक रूप से दण्ड दे सकता है। कारागार का दूसरा उद्देश्य अपराधी के मस्तिष्क में प्रायश्चित से भावना का विकास करना है। जिससे वह अपने कार्यो का मूल्यांकन कर अपनी गलती की अनुभूमि कर सके। कारागार का तीसरा उद्देश्य अपराधी के मस्तिष्क में एक प्रकार का भय उत्पन्न करना है जो समाज में अपराध रोकने में सहायक हो सके। कारागाह का चौथा उद्देश्य अपराधी को सुरक्षा एवं समाज का पारस्परिक संघर्ष को रोकना भी है ताकि बदले की भावना से प्रेरित समाज अपराधी को नष्ट न कर दे। अपराधों को सामाजिक प्रमेय के रूप में स्वीकार किये जाने साथ ही कारागार में अपराधियों को दण्डित करने के स्थान पर उन्हें सुधारने के प्रयास प्रारंभ हो गये हैं जिससे कारागार का उद्देश्य अपराधी का सुधार करना हो गया।

कारागार –

अपराध उतने ही पुराने हैं जितने समाज अपराधिविहीन समाज मात्र कल्पना की वस्तु है। समाज में शांति और व्यवस्था के उत्तरदायी लोग सदैव से अपराधियों के प्रति अपनाये गये दृष्टिकोण से कभी संतुष्ट नहीं रहे क्योंकि अपराधी की वृद्धि उन्हे लगातार सोचने पर विवश करती रही है। प्रारंभ में अपराधियों के अधिकतम यातना दी जाती थी जिससे लोगों मे दण्ड का भय एवं आतंक पैदा हो जाये जिससे वे स्वप्न में भी अपराधा करने का विचार न करें। समय के साथ–साथ इस धारणा में परिवर्तन हुआ और अपराधियों को सुधारने की दिशा में प्रयत्न प्रारंभ हुआ। समाज के अधिकांश लोग इस विचार से सहमत थे कि अपराधियों को समाज से पृथक रखा जाये जहां पर उन पर कडा नियंत्रण रखा जा सके उनसे कठोर श्रम लिया जाये ताकि वे अपने कृत्य पर प्रायश्चित करे सभ्य जीवन बिताने को अग्रसर हो सकें।

इस प्रकार जिसे स्थान पर अपराधी को रखा जाता है उसे जेल या बंदीगृह कहा जाता था।

कारागार में बंदियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है और उन्हें सुधारवादी दर्शन के अंतर्गत उपचार प्रक्रिया से गुजारा जाता है ताकि अपराधों पर नियंत्रएा पाया जा सके। कारागार अधिनियम 1894 की धारा (3) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

''कारागार से तात्पर्य किसी भी जेल अथवा उस स्थान से है जो राज्य शासन के साधारण अथवा विशिष्ट आदेशों के अंतर्गत बंदियों को रखने के लिये उपयोग में लाया जाता है और उनसे संलग्न समस्त स्थान व भवन सम्मिलित माने जावेंगे परन्तु उनमें शामिल नहीं होंगे।

क) बंदियों के परिसीमन के लिये कोई वह स्थान जो पूर्ण रूपेण पुलिस के अभिरक्षण में हो।

ख) वह स्थल जो विशेष रूप में राज्य शासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1882 (1973) के अनुच्छेद 541 के अंतर्गत नियोजित किया गया हो।

ग) कोई वह स्थल जो राज्य शासन के साधारण अथवा विशेष आदेश के अंतर्गत एक पूरक जेल घोषित किया गया है।

कैदियों की स्थिति में सुधार करने हेतु गठित समितियाँ –

प्रथम बंदीगृह समिति

जेलों की दशा में सुधार करने के उद्देश्य से ब्रिटिश शासनद्वारा सर्वप्रथम सन् 1836 में प्रथम बंदीगृह समिति का गठन किया गया इस समिति के निम्न सुझाव थे।

1. सामान्य सड़कों पर अपराधियों से काम लेना समाप्त कर दिया जाये।
2. बंदीगृह में सफाई के अभाव में है जो आदि अनेक प्रकार की बीमारियां फैलाती थीं अतः सफाई की ओर समुचित ध्यान दिया जाये।
3. बंदीगृह में योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की भी सिफारिश की गई।
4. स्त्री अपराधियों के लिये अलग व्यवस्था होनी चाहिए।
5. जेल के अधिकारियों और कैदियों को अनुशासन में रखने के लिए जेल निरीक्षण नियुक्त किया जाये।
6. एक केन्द्रीय बंदीगृह की स्थापना हो जिसकी दो निम्न दो विशेषताएं हो–

क) इसमें केवल उन्हीं अपराधियों को रखा जाये जिनकी सजा की अवधि एक वर्ष से अधिक हो।

ख) बंदीगृह में 1,000 बंदियों को रखने की व्यवस्था हो।

7. सभी बंदियों को रहने के लिए निवास की समुचित व्यवस्था की जाती चाहिए।

दूसरी बंदीगृह समिति–

सन् 1862 में नियुक्त दूसरी बंदीगृह समिति में कैदियों की समस्या दूर करने के लिए स्वच्छता, भोजन, वस्त्रों और चिकित्सा पर जोर दिया गया। इसके बाद 1877, 1889 तथा 1892 में भी बंदीगृह पर्यवेक्षण समितियाँ नियुक्त की गई। इन समितियों की सिफारिश पर ब्रिटिश शासन में पहली बार सन् 1894 में बंदीगृह अधिनियम पास किया, जिसका उद्देश्य भारत की सभी जेलों में एक रूपता लाना था। इस अधिनियम के द्वारा बंदीगृहों के प्रशासन प्रांतीय सरकारों को सौंपने, कैदियों, के वर्गीकरण करने, कोड़े मारने का प्रचलन बंद करने तथा महिला कैदियों को विशेष सुविधायें प्रदान का प्रावधान किया गया।

कारागार (जेल) अधिनियम 1894 (IX of 1894) जेलों से संबंधित प्रावधानों को संशोधित करने के लिए लाया गया और इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य भारत में जेलों से संबंधित कानूनों को संशोधित करना था।

भारतीय बंदीगृह समिति

सन् 1919–1920 में भारतीय बंदीगृह समिति की स्थापना सर अलेकजेन्डर काडर्यू की अध्यक्षता में की गई। इस समिति ने सुधार के लिए कई आधारभूत बातों पर बल देते हुए लिखा है कि ''जब तक बंदी, बंदीगृह में हैं उन पर ऐसे प्रभाव उाले जाने चाहिए जो उन्हें आगे सिर्फ अपराध करने को ही न रोके बल्कि उनके चरित्र पर सुधारात्मक प्रभाव भी डाले।'' समिति ने कारागार की दण्ड स्थल न मानकर सुधारस्थल माना है। इस समिति ने स्वीकार किया कि कठोरता के माध्यम से अपराधियों का सुधार नहीं किया जा सकता जब तक अपराधियों के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है, तब तक अपराधियों का सुधार करना असंभव है।

सर अलेकजेन्डर काडर्यू समिति ने जेलो की पिछली व्यवस्था का अध्ययन किया और इस तथ्य को स्वीकार किया कि भारतीय बंदी गृह सिर्फ भोजन, स्वास्थ्य और श्रम के ही मामले में प्रगति किए है, अन्य क्षेत्रों में नहीं। इस समिति ने बंदीगृहरें के सुधार के लिए निम्न सुझाव दिये थे–

1. बंदीगृहों के देखभाल का काम प्रशिक्षित अधिकारियों के हाथ में सौंपा जाय।
2. बंदीगृहों में अपराधियों को दो आधार पर वर्गीकरण किया जाना चाहिए।

अ) आदतन अपराधी

ब) आकस्मिक अपराधी

इसके अतिरिक्त सिविल एवं अपराधिक कैदियो को अलग–अलग रखे जाने की अनुशंसा की गई।

3. अपराधियों से परिश्रम लिया जाना चाहिये किन्तु इसका उद्देश्य परिश्रम के लिये परिश्रम नहीं होना चाहिए। इसके पीछे मूल उद्देश्य यह हो कि अपराधियों में सुधार किया जा सके।
4. जिन अपराधियों की सजा की अवधि 6 माह से अधिक है उन्हे कुछ रियायतें दी जाए। यानि दण्ड की अवधि में कमी करने (Remission) की व्यवस्था प्रारंभ करना।
5. बंदियों को पत्र लिखने की पूरी छूट होनी चाहिए, उन्हें इस बात की भी छूट होनी चाहिए कि बंदी अपने परिवार के सदस्यों, सम्बंधियों और मित्रों से मिल सकें।
6. बंदीगृहो में पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए।
7. बंदियो को पौष्टिक व अच्छा भोजन दिया जाना चाहिए।
8. जब अपराधियों को बंदीगृह से छोड़ा जाए तो उन्हें कुछ आर्थिक मदद प्रदान की जाए जिससे वे समाज और परिवार के साथ पुनः सामजस्य स्थापित कर सके।
9. अच्छी श्रेणी के वार्डन नियुक्त किये जाए।
10. जेल में ऐसे उद्योग स्थापित किये जायें जो कि शासन के विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

अतः उपरोक्त अनुशंसाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समिति ने जेलों के सुधारो के संबंध में कई महत्वपूर्ण अनुशंसा की थीं।

भारत सरकार के 1919 के अधिनियम के तहत जेल विभाग का प्रबन्धन प्रांतीय सरकार के अधीन था लेकिन इस पर विधेयक बनाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को प्राप्त था। वर्ष 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता लागू होने के फलस्वरूप जेल प्रशासन प्रांतीय विषयो की सूची में सम्मिलित किया जिस कारण से इस पर कानून बनाने का अधिकार भी प्रांतीय सरकार को प्रदान किया गया था।

बंदीगृह सुधार समिति 1947

बंदीगृह सुधार समिति 1947 में बंदीगृह सुधार समिति की सथापना की गई। इस समिति न बंदीगृहों की दशा सुधारने के लिए निम्न लिखित सुझाव दिये थे।

1. बाल अपराधियों के साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाये।
2. शासन के द्वारा आदर्श जेल स्थापित किये जायें।
3. अपराधियों को वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाये।
   - क) बाल अपराधी
   - ख) वयस्क अपराधी
   - ग) महिला अपराधी
   - घ) अकास्मिक अपराधी
   - ड़) आदती अपराधी
   - च) मनोवैज्ञानिक अपराधी
   - छ) शारीरिक विकृत अपराधी

केन्द्रीय प्रांत एवं बरार में राजनीतिक बंदियें को अलग से रखे जाने हेतु केन्द्रीय प्रान्त एवं बरार कारागार (संशोधन) अधिनियम 1939,24 जून 1939 को पारित किया गया।

यह अधिनियम केन्द्रीय प्रात एवं बरार कारागार (संशोधन) अधिनियम 1940 के द्वारा निरस्त कर दिया गया और जिस दिनांक से निरस्त करने वाला अधिनियम लागू हुआ, उस दिनांक से कारागार अधिनियम 1894

केन्द्रीय प्रांतों एवं बरार में इस तरह लागू हो गया मानो केन्द्रीय प्रांत एवं बरार कारागार (संशोधन) अधिनियम 1939 पारित ही नहीं हुआ हो।

मध्यप्रान्त एवं बरार की विधानसभा में 1938 में जेल से संबंधित दो विधेयक प्रस्तुत किये गये, जिसके आधार पर 1939 में निम्न दो अधिनियम बनाये गये–

1. मध्यप्रान्त एवं बरार कारागार संशोधन अधिनियम 1939
2. मध्यप्रान्त एवं बरार कैदी संशोधन अधिनियम 1939 जो 10 जुलाई 1939 से प्रभावशील हो गया था। इस अधिनियम के द्वारा ऐसे बंदी जिन्हें लम्बी अवधि तक सजा प्राप्त थी तथा सजा की अवधि में उनके जेल में उत्तम व्यवहार पर अपने परिवार से मिलने हेतु एक सप्ताह के लिए पेरोल पर अल्प अवधि के लिए छोड़ा जाता था ताकि वह अपने घर जाकर परिवार के साथ रह सके।

जेल प्रशासन में 1938 में किये गये सुधार उस वर्ष की बहुत बढ़ी उपलब्धि सिद्ध हुई। इन सुधारों के फलस्वरूप जेल जीवन में होने वाले आपराधिक घटनाओं में कमी आयी तथा इस वर्ष जेल के अपराधों से संबंधित 300 प्रकरण कम दर्ज किये गय।

1939 में जेल सुधार के अर्न्तगत कैदियों के पैरों में डाले जाने वाले बेड़ियों से मुक्ति मिल गई तथा जेल में कैदियों के उत्तम आचरण पाये जाने पर उनहें 3 से 6 माह तक की सजा में छूट प्रदान की जाती थी।

इन जेल सुधारो के संबंध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया था कि किसी भी राजनैतिक कैदियों को ''अडंमान' (काला–पानी) नहीं भेजा जायेगा। यह पहली सरकार थी जिसने ''अंडमान' की सजा प्राप्त 8 राजनैतिक कैदियों को भी मुक्त कर दिया था।

बन्दियों के लिये अस्थाई आवास –

जब कभी महानिरीक्षक को ऐसा प्रतीत होता कि किसी कारागार में बन्दियों की संख्या उसमें सुविधा से सुरक्षा पूर्वक रखे जाने वाले बंदियों की अपेक्षा अधिक है और अधिक संख्या को किसी अन्य कारागार में स्थानान्तरित करना सुविधाजनक नहीं है, जब कभी किसी कारागार में संक्रामक रोग फैलने के कारण यह आवश्यक समझा जाये कि किन्हीं बंदियों की अथाई शरणस्थल एवं सुरक्षा संरक्षण प्रदान किया जावे, तो किसी ऐसे अधिकारी द्वारा ढंग से जैसा कि राज्य शासन निर्देश दे, उन अधिक बंदियों को जिन्हें कारागार में सुविधाजनक एवं सुरक्षित रूप से नहीं रखा जा सकता है, उनके अस्थाई शरण स्थल एवं सुरक्षित संरक्षण की व्यवस्था अस्थायी कारागारों में की जायेगी।

अधीक्षक :

1. महानिरीक्षक के आदेशों के अधीन अधीक्षक कारागार के समस्त मामलों का जो कि अनुशासन, श्रम, व्यय, दण्ड और नियंत्रण से संबंधित है, प्रबंध करेंगे।
2. राज्य शासन द्वारा दिये गये ऐसे सामान्य अथवा विशेष निर्देशों के अधीन एक कारागार का अधीक्षक, जो केन्द्रीय कारागार या प्रेसीडेन्सी टाउन में स्थित कारागार से अतिरिक्त है, उन समस्त आदेशों का जो इस नियम से सम्बद्ध नहीं हैं अथवा कारागार से संबंधित किसी नियम के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिये गये हैं, का पालन करेंगे और महानिरीक्षक को ऐसे समस्त आदेशों और उनके संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट करेंगे।

अधीक्षक के द्वारा अभिलेखों का रखा जाना –

अधीक्षक निम्नलिखित अभिलेखों को रखेंगे अथवा रखवायेंगे –

1. बन्दियों की भरती का रजिस्टर।
2. एक किताब जिसमें प्रत्येक बन्दी की मुक्ति दशाई जाती है।
3. कारागारीय अपराध के लिये बन्दी को दिये गये दण्ड की प्रविष्टि हेतु एक दण्ड की किताब।
4. जेल प्रशासन से संबंधित विषयों को स्पर्श करने वाले दर्शकों के अनुभवों को प्रविष्टि हेतु एक दर्शक पुस्तक।

5. बन्दियों से लिये गये धन व वस्तुओं का अभिलेख और ऐसे अन्य समस्त अभिलेख जो नियमों के द्वारा धारा 59 में नियत किये गये हैं।

संदर्भ ग्रंथ –

1. अग्रवाल, आर.सी., संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आंदोलन नई दिल्ली, 1987
2. बक्शी, एम.आर., ''गाँधी और उनकी सत्याग्रह की कला'', नई दिल्ली, 1987
3. देसाई, ए.आर., ''भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि'', दिल्ली 1976
4. मजूमदार, आर.सी., ''भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रूपरेखा'', 1981
5. नागपाल, ओम, ''भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास'', प्रथम संस्करण, इंदौर, 1991
6. शर्मा, जे.पी., ''मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन'', दिल्ली, 1989
7. शर्मा, पालेश्वर प्रसाद, ''छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक परिचय'', जनवरी 1973
8. शुक्ल, आर.एल., ''आधुनिक भारत का इतिहास'', दिल्ली विश्वविद्यालय, 1987
9. ताराचंद, ''भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास'' नई दिल्ली, 1989
10. विपिनचन्द्र, ''भारत का स्वतंत्रता संघर्ष'', दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 1991
11- Bharadwaj, R.K., Indian Police Administration, New Delhi, 1978
12- Chopara P.N., Quit India Movement.
13- Dass M.N., India under Marley & Minto, London, 1964.
14- Edward M., The last years of British India, London, 1963.
15- Gransis G., Spontaneous Revolution the Quit India Movement.
16- Harrison A., India 1939-42, London, 1942
17- Malhotra S.C. From the Civil Disobedience to Quit India
18- Narendra B.R., The Nehru Moti Lal & Jawaharlal, London, 1962
19- Pande B.N., A Centenary History of Indian National Congress, Part III, 1885- 1985
20- Temple (Sir) Richard, India in 1880, 1881, London.